कृपया प्रकाशनार्थ - **28 जनवरी 2013**

भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक द्वारा 28 जनवरी 2013 को मुंबई में पत्रकार सम्मेलन में प्रसारित वक्तव्य

डिजल दामों की दोहरी नीति मछुआरों के लिए सुनामी - राम नाईक

मुंबई, सोमवार : ''पिछले दो - तीन महिनों में रसोई गैस, डिजल, पेट्रोल के दामों में हुअी बढोत्तरी के कारण देश तेजी से वित्तिय अराजकता की ओर बढ रहा है. ऐसी परिस्थिती में 18 जनवरी को डिजल के लिए दोहरी नीति बना कर तथा मछुआरों को बडे पैमाने पर डिजल के खरीदार (बल्क पर्चेसर्स) घोषित कर सरकार ने मछुआरों का जीना दुशवार किया है. इस निर्णय के कारण अब मछुआरों को उनकी नावों के लिए लगनेवाले डिजल के लिए प्रतिलिटर रु.53.21 के बदले रु. 64.11 याने रु. 10.90 अधिक देने पडेंगे. मछुआरों के लिए यह निर्णय सुनामी से कम आपत्तीजनक नहीं हैं. पेट्रोलियम मंत्री श्री. विरप्पा मोईली महंमद तुघलक से भी दो कदम आगे हैं. सरकार की बुद्धि का दिवालीया ही ऐसा निर्णय ले सकता है'', ऐसे शब्दों में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री व भाजपा नेता श्री. राम नाईक ने सरकार की आलोचना की. श्री. नाईक आज मुंबई में पत्रकार परिषद में बोल रहे थे.

''पिछले हप्ते पेट्रोलियम मंत्री ने डिजल ग्राहकों के दो वर्ग किए; एक - तेल कंपनीयों के पेट्रोल पंपों पर डिजल खरेदी करने वाले ग्राहक व दुसरे बडे पैमाने पर डिजल लेनेवाले (बल्क पर्चेसर्स) ग्राहक. डिजल दामों में छोटे ग्राहकों के लिए प्रति लिटर 54 पैसों की तो बडे ग्राहकों के लिए प्रति लिटर रु.10.90 इतनी भयंकर बढोतरी भी की गयी. इस दोहरी नीति के अनुसार रेल्वे, राज्य परिवहन निगम, रक्षा मंत्रालय से लेकर मछुआरों तक सभी को बडे ग्राहक (बल्क पर्चेसर्स) घोषित किया गया. रेलवे, परिवहन निगम, रक्षा मंत्रालय के बारे में यह कहा जा सकता है कि ढेर सारे वाहनों का मालिक एक ही है; मगर मछुआरों की स्थिती ऐसी नही है. हर बोट का मालिक अलग - अलग मछुआरा होता है. तेल कंपनीयां सुविधा के लिए मछुआरों की सहकारी संस्था को डिजल देती है, उसका बँटवारा अलग - अलग छोटे मछुआरों को किया जाता हैं. जैसे की, महाराष्ट्र के छः सागरी जिलों में 10,330 बोट है जिनके अलग - अलग मछुआरे मालिक हैं. ऐसे में मछुआरों को बडे पैमाने पर डिजल लेने वाले ग्राहक (बल्क पर्चेसर) मानना उन पर अन्याय है. पहलेही समुद्र में हो रहे प्रदूषण के कारण मछुआरों को मछली मिलना कम हुआ है. मछली की खोज में उन्हें समुद्र के अंदर दूर तक जाना पडता है जिसके कारण वैसेही उन्हें आजकल ज्यादा डिजल लगता है. ऐसे में अब डिजल के लिए प्रति लिटर रु. 10.90 ज्यादा देना उनके लिए मुश्किलों का पहाड

..2..

टूटने जैसा है. इससे तो वे बर्बाद ही होंगे. इसलिए यह नीति फौरन बदल कर उन्हें पहले के दाम से ही डिजल देना जरुरी है. मछुआरों ने बढे हुए दामों में डिजल न खरीदने का जो निर्णय किया है उसे भारतीय जनता पार्टी का पुरा समर्थन है. मगर अगर यह आंदोलन समय पर समाप्त न हुआ तो बेचारे मछुआरों के परिवारों को भूखा रहना पडेगा; मछली खानेवालों को भी इससे असुविधा होगी,'' ऐसा भी श्री. नाईक ने कहा.

''एकही वस्तू के लिए दो दाम रखने का कांग्रेस सरकार का निर्णय व्यावहारीक नही है. इससे भ्रष्टाचार बढेगा. उदाहरण के तौर पर राज्य परिवहन निगम की बस गाडीयाँ अगर तेल कंपनीयों के पेट्रोल पंपों पर डिजल भरवाने गयी तो उन्हें कोई मना नही कर सकता, वहाँ उन्हें कम दाम पर डिजल मिलेगा. मगर नए निर्णय के अनुसार उन्हें डिजल महंगा पडेगा. पहलेही परिवहन निगम घाटे में होता है, उसमें अगर ऐसा खर्चा बढा तो उन्हें काफी अधिक घाटा होगा. दुसरी ओर निजी कंपनीयों के लक्झरी बस गाडीयाँ कम दाम में डिजल भरवाएंगी और यात्रियों को अपनी ओर खिंचेगी. शक्कर कारखानें के पंपों पर भी बढे दामों में डिजल मिलेगा जिससे उनका भी नुकसान होगा'', ऐसी जानकारी भी श्री. राम नाईक ने दी.

रेल सेवा पर भी इस निर्णय का परिणाम होगा ऐसी जानकारी देकर श्री. राम नाईक ने कहा, ''रेल मंत्री श्री. पवन कुमार बन्सल ने 9 जनवरी 2013 को ही रेल किराये में जबरदस्त बढोतरी घोषित की, जिसको 21 जनवरी से लागू किया है. यह बढोतरी करते समय रेल मंत्री ने कहा था कि वह अब फरवरी के रेल बजट में फिरसे किराया नही बढाएंगे. मगर अब जब डिजल के दाम प्रति लिटर रु. 10.90 बढे है तब वह अपने वादे पे कैसे अडीग रहेंगे यह रेलमंत्रीही बताएं''.

''डिजल दामों के लिए दोहरी नीति का निर्णय वित्तिय अराजकता निर्माण करनेवाला है इसलिए उसे जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए'', ऐसी माँग भी अंत में श्री. राम नाईक ने की.

(कार्यालय मंत्री)